प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख
[*नियम 88ग देखें*]
भाग- क (प्रणाली जनित)

बाहरी आपूर्ति के विवरण में रिपोर्ट की गई देनदारी और बदले में रिपोर्ट की गई देनदारी में अंतर की सूचना

संदर्भ संख्या:
तारीख :
जीएसटीआईएन:
विधिक नाम:

1. यह देखा गया है कि आपके द्वारा देय कर प्ररूप जीएसटीआर -1 में या चालान प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करते हुए, आपके द्वारा प्रस्तुत बाहरी आपूर्ति के विवरण के अनुसार आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए रिटर्न के अनुसार आपके द्वारा भुगतान किए गए कर की राशि की अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी <से> <से> तक रुपये की राशि से अधिक है। .... का विवरण इस प्रकार है

प्रपत्र का प्रकार	**देयता घोषित/भुगतान (रुपये में)**				
	आईजीएसटी	**सीजीएसटी**	**एसजीएसटी/यूटीजीएसटी**	**उपकर**	**कुल**
प्ररूप जीएसटीआर-1/					
प्ररूप जीएसटीआर-3बी					
दायित्व में अंतर					

2. नियम 88गके उप-नियम (1) के अनुसार, आपसे अनुरोध किया जाता है कि या तो धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ उक्त अंतर कर देयता का भुगतान प्ररूप जीएसटी डीआरसी -03 के माध्यम से करें और/या प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख भाग-ख में उसका विवरण प्रस्तुत करें। का, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01बी के भाग-बी में उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें अंतर कर देयता के उस हिस्से के संबंध में कारणों को सम्मिलित किया गया है, जो सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है।
3. यह ध्यान दिया जाए कि जहां कोई राशि सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं की जाती है और जहां आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां आपके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण या कारण उचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, उक्त राशि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 79 के उपबंधों के अनुसार वसूली योग्य होगी।
4. यह एक प्रणाली जनित सूचना है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

भाग-ख

देयता में अंतर की सूचना के संबंध में करदाता द्वारा उत्तर

सूचना की संदर्भ संख्या: तारीख :

क. मैंने **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख** के **भाग क** में निर्दिष्ट अंतर कर देयता की राशि का भुगतान पूरी तरह या आंशिक रूप से, धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ, **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03** के माध्यम से किया है, और उसके विवरण नीचे दिए गए हैं :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी – **03** का एआरएन	शीर्ष के अधीन भुगतान	कर अवधि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	उपकर

और/या

ख. अंतर कर देयता के उस हिस्से के संबंध में कारण जो भुगतान नहीं किया गया है, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	**अंतर के लिए संक्षिप्त कारण**	**विवरण (आज्ञापक)**
1	**प्ररूप जीएसटीआर -3 ख** में पूर्व कर अवधि में भुगतान की गई अतिरिक्त देयता	
2	पूर्व कर अवधि के कुछ लेनदेन जिन्हें उक्त कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर -1/आईएफएफ में घोषित नहीं किया जा सकता था, लेकिन जिनके संबंध में कर का भुगतान पहले ही उक्त कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर -3 ख में किया जा चुका है और जिन्हें अब विचाराधीन कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर-1/आईएफएफ में घोषित किया गया है।	
3	**प्ररूप जीएसटीआर -1 / आईएफएफ** गलत विवरण के साथ फाईल किया गया है और अगली कर अवधि में संशोधित किया जाएगा (टाइपिंग त्रुटियों, गलत कर दरों आदि सहित)	
4	प्राप्त अग्रिमों की रिपोर्टिंग में त्रुटि और चालान के विरुध समायोजित	
5	कोई अन्य कारण	

सत्यापन

मैं ____ सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूं कि यहां ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पदनाम/प्रास्थिति:

स्थान :

तारीख: